न्यायालय :– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–V, हिलसा (नालंदा)।

पीठासीन पदाधिकारी :– संजीव कुमार राय

ए0बी0पी0– 249 / 2026

(नगरनौसा थाना कांड संख्या– 05 / 2026)

अशोक कुमार निराला बनाम् राज्य सरकार।

Date of Order	Order with the signature of the Court	Office action taken
06.05.2026	आवेदक अशोक कुमार निराला की ओर से अग्रिम जमानत आवेदन पत्र जो धारा– 135 बिहार विधुत अधिनियम के तहत नगरनौसा थाना कांड संख्या– 05 / 2026 के संबंध में दाखिल किया गया है, जिस पर दोनों पक्षों को सुना। आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि उपरोक्त मुकदमा नगरनौसा थाना कांड सं0– 05 / 2026 धारा 135 बिहार विद्युत अधिनियम 2003 से सम्बंधित है। प्रसंगाधीन मुकदमा के आवेदक की ओर से नियमित आवेदन पत्र माननीय श्री निशांत रंजन न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी हिलसा नालंदा के न्यायायल में दाखिल किया परन्तु आवेदक का उक्त जनानत आवेदन पत्र माननीय उक्त न्यायालय द्वारा दाखिल किया जा चुका है तथा आवेदक की ओर से श्रीमान् के न्यायालय के अतिरिक्त किसी उपरी अथवा निम्न न्यायालय मे अग्रिम जमानत आवेदन पत्र दाखिल नहीं किया गया है। प्रसंगाधीन मुकदमा में आवेदक की ओर से आज पहली वार श्रीमान् के न्यायालय में अग्रिम जमानत आवेदन पत्र दाखिल किया जाता है। आवेदक निर्दोष है तथा इन्होंने किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं किया है। आवेदक का कोई अपराधिक इतिहास नहीं है। प्राथमिकी मे किसी स्वतंत्र चश्मदीद गवाह का नाम दर्ज नहीं है। मध्यस्थता केन्द्र हिलसा व्यवहार न्यायालय में संधि पत्र दाखिल है जिसमें उभय पक्ष के बीच संधि हो जाना सुनिश्चित है। आवेदक 482(2) बी0एन0एस0एस0 के तहत निर्धारित शर्तो का पालन करने के लिए तैयार है। अतः आवेदकगण का अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकृत करने की कृपा की जाय। विद्वान अपर लोक अभियोजक अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध नहीं करते हैं। सुना। प्राथमिकी एवं कांड दैनिकी का अवलोकन किया, जिससे विदित होता है कि गुप्त सूचना के आधार पर दिनांक 09.01.2026 को विद्युत ऊर्जा चोरी की रोकथाम हेतु एक छापेमारी दल का गठन किया गया, जिसमें विवेक कुमार केशरी (कनीय अभियंता), राजीव कुमार– AEE STF बिहारशरीफ (सरल) अन्य तकनीकी कर्मी एवं नगरनौसा पुलिस बल मौजूद थे। श्री कामेश्वर महतो (ग्राम अकैड) के घरेलु परिसर की जाँच में समय 12:35 बजे अपराहण पाया गया कि एल०टी० लाईन से टोका फंसाकर अवैध रूप से विद्युत चोरी की जा रही थी। लोड 127 वाट पाया गया, जिससे 16,546 रू0 की राजस्व क्षति हुई। श्री अशोक कुमार निराला (ग्राम सकरौढ़ा) के घरेलू परिसर से समय 01:05 बजे अपराहण जाँच में पाया गया कि स्मार्ट मीटर (उपभोक्ता सं० 21940016483) होने के बावजूद, इनकमिंग सर्विस वायर में दूसरा तार जोड़कर मीटर बाईपास किया जा रहा था। यहाँ 2400 किलोवाट लोड के कारण 89,295 रू0 की राजस्व क्षति हुई। श्री सत्येन्द्र पंडित (ग्राम सकरौढ़ा) के घरेलु परिसर से समय 01:15 बजे अपराहन स्मार्ट मीटर (उपभोक्ता सं० 11940018769) को बाईपास कर चोरी करते पाया गया। 307 वाट लोड के उपयोग से 9,359 रू0 की क्षति और 774 रू0 बकाया सहित कुल 10,133 रू0 की देय राशि बनी। श्री शैलेन्द्र प्रसाद (ग्राम सकरौढ़ा) के घरेलु परिसर से समय 01:25 बजे अपराहन स्मार्ट मीटर को सर्विस वायर से	

लगातार...

बाईपास कर चोरी की जा रही थी। जाँच में 2061 किलोवाट लोड पाया गया, जिससे 75,000 रू0 की राजस्व क्षति हुई। श्री सुबोध कुमार (ग्राम सकरौढ़ा) के घरेलु परिसर से समय 01:45 बजे अपराहन एल०टी० लाईन से टोका फंसाकर चोरी की जा रही थी। छापेमारी दल को देखते ही वह घर बंद कर निकल गया। 971 वाट लोड के उपयोग से 1,20,614 की भारी राजस्व क्षति हुई। श्री राजू कुमार (ग्राम सकरपुरा) के घरेलु परिसर से समय 02:00 बजे अपराहन उपभोक्ता सं० 219405988095 वाले मीटर को बाईपास कर चोरी पाई गई। 67 वाट लोड और पुराने बकाया 28,371 सहित कुल 34,202 रू0 की राशि देय पाई गई। सभी मामलों में छापेमारी दल द्वारा चोरी में प्रयुक्त तार एवं मीटर जप्त कर लिया गया है। उक्त राशि में कम्पाउंडिंग की राशि शामिल नहीं है।

सुना। कांड दैनिकी एवं अभिलेख का अवलोकन किया जिससे विदित होता है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक पर बिजली चोरी का आरोप है। प्रार्थी तथाकथित क्षति की राशि तीन किस्तों में जमा करने का प्रस्ताव रखते हैं।

अतः आवेदकों की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन को तद्नुसार **स्वीकृत** करते हुए निर्देश दिया जाता है कि आदेश की तिथि से चार सप्ताह के अंदर आवेदक के गिरफ्तार होने या न्यायालय में आत्मसमर्पण किये जाने पर उसे 10,000 रूपये के दो समान प्रतिभू के साथ बंध पत्र निष्पादित किये जाने पर न्यायालय की संतुष्टी पर धारा– 482(2) बी0एन0एस0एस0 शर्तों के अधिन जमानत पर मुक्त करने का निर्देश दिया जाता है। प्रार्थी निम्नलिखित शर्तों का पालन करेगा :–

(i) बंध पत्र तभी स्वीकार किया जायेगा जब वह प्राथमिकी में प्रार्थी पर लगाए गए कुल नुकसान का एक तिहाई हिस्से को जमा कर देगा।

(ii) प्रार्थी को आज से तीन महीने के भीतर अगली किस्तें जमा करनी होंगी, अन्यथा उसकी जमानत (बेल बॉण्ड) रद्द कर दी जाएगी।

(लेखापित)

अपर सत्र न्यायाधीश–V,
हिलसा (नालंदा)।

Date of Order	06.05.2026
Date of Reserving Order	
Uploading date	12.05.2026
Uploaded by	R.R.Prasad (D.E.O.)